41—(08)—19—2017

पटना में दिनांक—11, दिसम्बर, 2017 सोमवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

	उद्योग विभाग		
1.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 की कंडिका—7(2) में संशोधन के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	खान एवं भूतत्व विभाग		
2.	श्री घनश्याम झा, तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी, शेखपुरा (सम्प्रति प्रतिनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, जमुई) के मामले में समादेश याचिका संख्या—22534/2014 में दिनांक—16.03.17 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में आदेश पारित करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
3.	सारण जिलान्तर्गत डीजल इंजन रेल कारखाना, मढ़ौरा के कार्य स्थल पर ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल—17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (विशेष शाखा)		
4.	बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली, 2005 के नियम—5 एवं 7 में संशोधन तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी (संशोधन) नियमावली—2010 के नियम—9 को विलोपित करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	गृह विभाग		
5.	राज्य की विभिन्न काराओं में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उपाधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य उच्च कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, कक्षपाल एवं चालक के पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)		
6.	बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण हेतु समस्त नगर निगम एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुल—09 (नौ) यातायात थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल— 1485 (एक हजार चार सौ पचासी) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

गृह विभाग

7.	राज्य की विभिन्न काराओं में प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिपिक संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत कुछ पदों को विलोपित करते हुए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	"बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2017" के अनुमोदन के संबंध में।	8.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9.	बिहार राज्य में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System-HRMS) के कार्यान्वयन तथा उस पर होने वाले अनुमानित व्यय रू०– 52,00,00,000/– (बावन करोड़) की स्वीकृति के संबंध में।	9.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

10.	गंगा नदी के बायें किनारे कि०मी० 0.00 से 7.30 के बीच मथार दियरा के निकट (मुंगेरघाट से टिकारामपुर 4.77 कि०मी० की लम्बाई में) कटाव निरोधक कार्य (एजेण्डा सं०–126/16) (प्राक्कलित राशि रू० 5787.13 लाख) (संतावन करोड़ सतासी लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	10.	स्वीकृत।

निर्वाचन विभाग

11.	बिहार राज्य के 30 (तीस) जिलों में जिला मुख्यालय या जिला मुख्यालय अवस्थित अनुमंडल/प्रखंड में उपलब्ध भूमि पर वी०वी०पैट के रख–रखाव एवं भंडारण हेतु गोदाम निर्माण तथा 08 (आठ) जिलों में पूर्व निर्मित ई०वी०एम० गोदाम के ऊपरी तल पर Pre-fabricated FLC Hall निर्माण हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में नई स्कीम "VVPATs (Voter Verifiable Paper Audit Trails) गोदाम का निर्माण" की स्वीकृति, उक्त दोनों निर्माण कार्यों पर कुल अनुमानित लागत ₹2,08,59,00,000/– (दो अरब आठ करोड़ उनसठ लाख रूपये) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से ₹45,00,00,000/– (पैंतालीस करोड़ रूपये) मात्र का उपबंध एवं व्यय की स्वीकृति।	11.	स्वीकृत।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

12. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में से 4 आवासीय विद्यालयों (परिशिष्ट–1) के भवनों (520 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं स्थूल प्राक्कलन (Model Estimate) के अनुसार प्रति विद्यालय रू० 25.64 करोड़ (पच्चीस करोड़ चौसठ लाख रू०) की दर से कुल–रू० 102.56 करोड़ (एक सौ दो करोड़ छप्पन लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में कुल रू० 30.71 करोड़ (तीस करोड़ इकहत्तर लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

13. केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल सुपौल के अंतर्गत निर्मली–मधेपुर पथ के कि०मी० 14.825 से कि०मी० 28.841 तक (कुल लंबाई 14.016 कि०मी०) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य, बचाव कार्य एवं RCC HL Bridge (65m) सहित (जॉब सं०–CRF-BR-2017-18/76) कुल ₹ 3765.42 लाख (सैंतीस करोड़ पैंसठ लाख बेयालीस हजार) के अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

14. नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर अंचल के मौजा–पंडितपुर, थाना नं०–475, खाता सं०–186, खेसरा सं०–924, रकबा क्रमशः–0.047382 एकड़ गैरमजरूआ ठीकेदार किस्म परती कदीम भूमि यथास्थिति में राष्ट्रीय उच्च पथ सं०–82 के चार लेन निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

15. सुपौल जिलान्तर्गत वसंतपुर अंचल के मौजा–भीमनगर के थाना नं०–01, खाता नं०–113, खेसरा नं०–1380, 1383, रकबा–1.50 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि को कटैया ग्रीड के विस्तारीकरण के लिए 1,00,000/–(एक लाख रूपए) प्रति डिसमिल की दर से 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात 1,87,50,000/–(एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–3,37,50,000/–(तीन करोड़ सैतीस लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को हस्तान्तरण के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–02 (औरंगाबाद–बरवाअड्डा) के 6 लेनिंग परियोजना हेतु औरंगाबाद जिलान्तर्गत अंचल–मदनपुर के विभिन्न मौजा एवं थाना के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल–3.0551 हेक्टेयर अर्थात 7. 549 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न–परिशिष्ट–I) "यथास्थिति" में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. "मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना" के तहत योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु योजना के सूत्रण, विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने एवं योजनाओं के कार्यों की गुणवत्ता के अनुश्रवण आदि हेतु सपोर्ट फंड के रूप में 2 प्रतिशत राशि का प्रावधान करने की स्वीकृति। — 17. स्वीकृत।

वित्त विभाग

18. कृषि विभाग के अन्तर्गत पौधा संरक्षण निरीक्षक (नन एग्रोनोमी) के वेतनमान संशोधन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

विधि विभाग

19. माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के उपयोग हेतु 40 (चालीस) नई गाड़ियाँ (मोडल Toyota Innova Crysta 2.4ZX डीजल; T2, Pearl White) प्रति गाड़ी 22,73,375/–(बाईस लाख तिहत्तर हजार तीन सौ पचहत्तर) रूपये सभी कर सहित क्रय हेतु कुल लागत मूल्य 9,09,35,000/–(नौ करोड़ नौ लाख पैंतीस हजार) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

20.	विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में रिक्त पदों के विरूद्ध अनुबंध के आधार पर पूर्व से कार्यरत 145 गैर–शैक्षणिक कर्मियों (तकनीकी सहायकों, अनुदेशकों एवं अन्य) को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने अथवा आदेश निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक, जो पहले हो, तक के लिए पुनर्नियोजन की स्वीकृति के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

21.	नवसृजित 13 (तेरह) जिला अंकेक्षण कार्यालयों एवं संबंधित पुराने जिला अंकेक्षण कार्यालयों में बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के पदों यथा अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी एवं अंकेक्षक (सहयोग समितियाँ) के कार्यालयवार पदों के पुनर्निर्धारण के संबंध में।	21.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

23.	रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत देवघर–बांका रेलखंड के चांदन रेलवे स्टेशन पर रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–61 (एकसठ) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	23.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

24.	रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत जमुई रेल पुलिस पोस्ट का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–30 (तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	24.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

25.	रेल जिला जमालपुर अन्तर्गत बड़हिया रेल पी०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–35 (पैंतीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	25.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

26.	राज्य के सार्वजनिक स्थलों पर महिला छेड़खानी रोकने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु Safe City Surveillance के लिए सर्वप्रथम पटना जिले में (पटना रेल सहित) CCTV कैमरा अधिष्ठापित करने हेतु कुल संशोधित प्राक्कलित राशि ₹ 110,67,56,466 (एक सौ दस करोड़ सड़सठ लाख छप्पन हजार चार सौ छियासठ रू०) मात्र की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वर्षों में करने के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

27. श्री राजमंगल राम, बि॰प्र॰से॰ को॰ क्र॰–504/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी (विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9072 दिनांक–24.07.17 द्वारा सेवा से बर्खास्त) के पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी दंड को यथावत रखने के संबंध में। — 27. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

28. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2977 दिनांक–24.02.2012 को निरस्त करते हुए श्री अशोक कुमार तिवारी (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक 1032/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा में पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में। — 28. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

29. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017–18 से रू० 10,000/– (दस हजार रूपये) से बढ़ाकर रू० 25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में। — 29. **स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

30. राज्य के भूमि के वर्गीकरण में संशोधन के संबंध में। — 30. **स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

31. राज्य के विभिन्न जिलों में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावासों की चहारदीवारी निर्माण का कार्यान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना से कराने की स्वीकृति। — 31. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

32. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अन्तर्गत सभी प्रकार के राजकीय नलकूपों के संचालन एवं रख–रखाव से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या ल०ज०स/बजट (अनुपूरक)–45/16 – 1892, दिनांक– 05.05.2017 की कंडिका–12 को संशोधित करने के संबंध में। — 32. **स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2017–18 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 2.00 लाख मे०टन भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु 200 मे०टन, 500 मे०टन या 1000 मे०टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए उक्त समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु 128.07 करोड़ (एक सौ अठाइस करोड़ सात लाख) रूपये के व्यय हेतु योजना की स्वीकृति। — 34. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

35. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन नव स्थापित मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के सम्यक संगठन संचालन हेतु न्यूनतम आवश्यकता आधारित पदों के सृजन, पदों पर नियुक्ति/ संविदा के निमित अर्हता का निर्धारण, सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स हेतु छात्रों की अर्हता एवं चयन प्रक्रिया का निर्धारण तथा संस्थान के तत्काल संचालन हेतु गाइड–लाईन की स्वीकृति। — 35. स्वीकृत।

कृषि विभाग

36. केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Per Drop More Crop) सुक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत कुल 3773.68 लाख (सैंतीस करोड़ तिहत्तर लाख अड़सठ हजार) रूपये (केन्द्रांश 1600.00 लाख (सोलह करोड़) रूपये, समानुपातिक राज्यांश 1066.66 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार) रूपये एवं राज्यांश मद से अतिरिक्त अनुदान 1107.02 लाख रूपये (ग्यारह करोड़ सात लाख दो हजार) की स्वीकृति एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति। — 36. स्वीकृत।

कृषि विभाग

37. कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन का निर्माण तथा परिसर के आधुनिकीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 तक अवधि विस्तार एवं वर्ष 2017–18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रूपये तथा वर्ष 2018–19 में 4723.49 लाख (सैंतालीस करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये कुल 7723.49 लाख (सतहत्तर करोड़ तेइस लाख उनचास हजार) रूपये की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2017–18 में 3000.00 लाख (तीस करोड़) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 37. स्वीकृत।

कृषि विभाग

38. वर्ष 2017–18 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत 17500.00 लाख रूपये (एक अरब पचहत्तर करोड़ रूपये) की स्वीकृति के अधीन रबी मौसम में किसानों को 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान्य के आलोक में प्रति 1 लीटर डीजल के क्रय पर 30 (तीस) रूपये की दर से कुल अनुमान्य राशि 300 (तीन सौ) रूपये को बढ़ाकर 35 (पैंतीस) रूपये के दर से कुल अनुमान्य राशि को 350 (तीन सौ पचास) रूपये करने की स्वीकृति। — **38. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

39. "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत Proformance Based Incentive मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही राशि का उपयोग Post 5-Years Maintenance मद में करने हेतु तैयार दिशा–निर्देश की स्वीकृति एवं उपलब्ध करायी जा रही राशि के विरूद्ध Matching State Share (40%) की स्वीकृति के संबंध में।" — **39. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

40. डा० विजय कुमार तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमेरा, नालंदा सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, रानीगंज, अररिया को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिये "बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007" की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **40. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

42. डा० राममूर्ति झा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुरौल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबनाधीन मुख्यालय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, पटना प्रमंडल पटना को भ्रष्ट आचरण (misconduct) के लिये "बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2007" की कंडिका–2 के नियम–14(XI) में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — **42. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

43. इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में संयुक्त निदेशक के कुल 3 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति। — **43. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

44. ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रारूप पर स्वीकृति। — 44. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

45. भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार के महत्त्वपूर्ण भवनों में कलाकृतियों के अधिष्ठापन के लिए कलाकार एवं दर निर्धारण हेतु अन्तर्विभागीय समिति के गठन का प्रस्ताव। — 45. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

46. बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथा संशोधित) में राजस्व अधिकारी (अंचल निरीक्षक) एवं समकक्ष ग्रेड के 711 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — 46. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

47. संविदा के आधार पर नियोजित अमीनों की संविदा अवधि विस्तार के संबंध में। — 47. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

48. पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत दरभंगा–कमतौल–बसैठा–माधवापुर पथ (SH-75) के कि०मी० 0.00 से 32. 00 तक (कुल 32.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पी०सी०सी० मरम्मति कार्य, विविध कार्य, बॉक्स कल्भर्ट निर्माण कार्य, क्रैश बैरियर कार्य, रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य, बोल्डर पिचिंग कार्य, हार्ड शौल्डरिंग कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित पथ का IRQP/ उन्नयन कार्य कुल 3999.13 लाख (उनचालीस करोड़ निन्यानवे लाख तेरह हजार) रूपये की अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 48. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

49. पटनासिटी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत सादिकपुर–पभेड़ा–मसौढ़ी पथ (SH-01) के सम्पतचक बाजार से पटना–पुनपुन पथ (NH-83) भाया बदलाचक पथ के कुल 6.80 कि०मी० पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, Utility Shifting कार्य, Afforestation कार्य, क्रॉस ड्रेन/ड्रेन निर्माण कार्य, पी०सी०सी० कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य कुल 3615.22 लाख (छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख बाईस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 49. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

50. पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत मोतिहारी– तुरकौलिया –गोविन्दगंज पथ के कि०मी० 0.00 से 35.40 तक (कुल 35.40 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित पथ का पी०आर० कार्य कुल 3313.57 लाख (तैंतीस करोड़ तेरह लाख सनतावन हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 50. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

51. पथ प्रमंडल, हिलसा के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०–71 के कोविल गेट–इस्लामपुर–खुदागंज– छबीलापुर–राजगीर खण्ड में चैनेज 22.50 कि०मी० से 62.740 कि०मी० तक (कुल 40.24 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, हार्ड शोल्डरिंग कार्य, क्रॉस ड्रेन कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य कुल 6232.44 लाख (बासठ करोड़ बत्तीस लाख चौवालीस हजार) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 51. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

52. पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ सं०–71 के राजगीर–पार्वतीपुर खण्ड में चैनेज 65.50 कि०मी० से 90.50 कि०मी० तक (कुल 25.00 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, विविध कार्य, ड्रेन निर्माण कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित IRQP कार्य कुल 3520.875 लाख (पैंतीस करोड़ बीस लाख सतासी हजार पाँच सौ) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 52. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

53. विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यवसायिक पुनर्वास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन। — 53. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

54. बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (डायनेमिक ए०सी०पी०) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 54. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

55. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए विभिन्न स्तर पर पदों का निर्धारण तथा पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नये पद सृजित एवं उत्क्रमित करने के संबंध में। — 55. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

56. "बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017" प्रवृत्त करने के संबंध में। — 56. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

57. षोडश बिहार विधान सभा के अष्ट्म–सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 187वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — 57. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

58. सारण मुख्य नहर, मढ़ौरा शाखा नहर, कटैया शाखा नहर एवं हथुआ शाखा नहर के सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य की प्राक्कलित राशि रू० 20886.90 लाख (दो अरब आठ करोड़ छियासी लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 58. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

59. पूर्वी कोशी मुख्य नहर के वि०दू० 60.20 (आर०) से निःसृत रानीपट्टी वितरणी नहर के संचालन, निरीक्षण एवं सिंचाई सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु सेवापथ का पक्कीकरण निर्माण कार्य की प्राक्कलित राशि रूपये 7393.682 लाख (तिहत्तर करोड़ तिरानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। — 59. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

60. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–18206/2013 रत्नेश्वरी देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–22.08.16 को पारित आदेश के आलोक में स्व० उमाचरण दास सेवानिवृत सहायक अभियंता (यॉ०) को दिनांक–13.01.94 से दी गई प्रोन्नति को संशोधित करते हुए उनसे कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि दिनांक–01.01.93 के प्रभाव से सहायक अभियंता (यॉ०) के पद पर (वेतनमान 2200–75–2800–100–4000 अपुनरीक्षित) भूतलक्षी प्रभाव से वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति। — 60. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

61. बदलाघाट–नगरपाड़ा तटबंध के कि०मी० 17.50 से कि०मी० 35.615 के बीच कुल 16.675 कि०मी० की लम्बाई में तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य ।(प्राक्कलित राशि–3247.98 लाख रूपये) (बत्तीस करोड़ सैतालीस लाख अन्ठानवें हजार) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 61. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

62. उदेरास्थान बराज से निःसृत विभिन्न मुख्य नहर, शाखा नहर एवं उप वितरणियों से निःसृत सभी लघु नहर एवं जलवाहा के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य, प्राक्कलित राशि ₹ 18707.20 लाख (एक सौ सतासी करोड़ सात लाख बीस हजार रूपये मात्र) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

62. स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

63. विशेष कार्यबल में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को देय विशेष भत्ता के संशोधन के संबंध में।

63. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

64. "बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017" के संबंध में।

64. स्वीकृत।

वित्त विभाग

65. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–194(ii) में संशोधन के संबंध में।

65. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

66. श्री सुकान्त नागार्जुन, पत्रकार के कोलंबिया एशिया अस्पताल, बंगलौर में इलाज में होने वाले व्यय हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्रावधानों को क्षान्त करते हुए कुल रू०–5,00,000/–(पाँच लाख रूपया मात्र) अनुदान की स्वीकृति।

66. स्वीकृत।